सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं.: NCST/ATY-2567/JH/378/2025-RO-RNC/RU-IV दिनांक : 28.11.2025

सेवा मे,

उपायुक्त,
जिला -देवघर,
उपायुक्त कार्यालय
देवघर, झारखंड 814112
Email Id: dc-deo@nic.in

पुलीस अधिक्षक
जिला - देवघर ,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
देवघर, झारखंड 814112
Email Id: sp-deo@nic.in

विषय: अभ्यावेदक श्री लोबीन सोरेन, ,ग्राम- साकिनबदिया- , थाना एवं अंचलकरौं-, अनुमण्डलमधुपुर-, जिला से प्राप्त अभ्यावेदन (झारखण्ड) देवघर-"संताल आदिवासियों की पुश्तैनी जमीन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा बलपूर्वक कब्जा करने" के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 09.10.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति आपको सूचनार्थ प्रेषित है

भवदीय

(यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav)
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री लोबीन सोरेन,
ग्राम- साकिनबदिया- ,
थाना एवं अंचल करौं-,
अनुमण्डल मधुपुर ,
जिला देवघर (झारखण्ड) - 815357,
मो- 8084715277

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फ़ाइल न : NCST/ATY-2567/JH/378/2025-RO-RNC/RU-IV

अभ्यावेदक श्री लोबीन सोरेन, पिता- स्व० श्री चन्दवा सोरेन, साकिन-ग्राम-बदिया, थाना एवं अंचल-करौं, अनुमण्डल-मधुपुर, जिला-देवघर (झारखण्ड) से प्राप्त अभ्यावेदन - संताल आदिवासियों की पुश्तैनी जमीन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा बलपूर्वक कब्जा करने के संबंध में दिनांक 09.10.2025 को अपराह्न 01:30 बजे आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में हुई सिटिंग का कार्यवृत्त।

सुनवाई की तिथि एवं समय : 09.10.2025 को अपराह्न 01:30 बजे
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार

अभ्यावेदक श्री लोबीन सोरेन, पिता- स्व० श्री चन्दवा सोरेन, साकिन-ग्राम-बदिया, थाना एवं अंचल-करौं, अनुमण्डल-मधुपुर, जिला-देवघर (झारखण्ड) ने आयोग को लिखित शिकायत किया है उनके पुश्तैनी जमीन जो कि थाना एवं अंचल कार्यालय करौं अन्तर्गत मौजा बदिया थाना नं0-558 अंदर जमाबंदी नं0-29 के सर्वे दाग नम्बर 1296 कुल रकवा 1.48 एकड़ जमीन जो कि उनके दादा श्री जटा सोरेन के नाम से गत् सर्वे सेटलमेंट के खतियान में दर्ज है, उनके उक्त पुश्तैनी जमीन पर (1) मो० अयुब मियां, पिता-स्व० अशरफ मियां, (2) जमरूद्दीन अंसारी पिता-स्व० अब्बास मियां, (3) अलाउद्दीन अंसारी पिता-स्व० मोहर मियां एवं (4) अफजल अंसारी पिता-रजाउल मियां सभी निवासी ग्राम-बदिया, अचंल व थाना-करौं ने जमीन को हड़पने की नियत से उनके जमीन से सटे कब्रिस्तान के साथ उनकी जमीन को मिला लिया है । आवेदक ने जब इसका विरोध किया गया तो उपरोक्त सभी लोगों ने आरोपियों ने आवेदक के साथ गाली-गलौज व मारा पीट करने लगे और धमकी दिये कि तुम यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम्हें तुम्हारे परिवार सहित बर्बाद कर देंगें कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तथा प्रशासन को भी खरीद लेने की धमकी दिया। आवेदक उपरोक्त सभी के उग्र रूप को देखकर वे डर कर वहाँ से भाग गए । अभ्यावेदक ने आयोग से उनके पुश्तैनी अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराने का अनुरोध किया है ।

2. आयोग द्वारा नोटिस दिनांक 30.06.2025 जारी कर उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, जिला- देवघर (झारखण्ड) से तथ्यात्मक रिपोर्ट माँगी गई ।

3. उपायुक्त, जिला देवघर द्वारा पत्रांक 996, दिनांक 07.07.2025 के माध्यम से मामले में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय की मांग की गई|

4. मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तथा आवेदक के अनुरोध पर, आयोग द्वारा दिनांक 09.10.2025 को मामले की सुनवाई निर्धारित की गई। तदनुसार, उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, जिला देवघर को समन दिनांक 01.10.2025 को जारी किया गया। आवेदक को भी इसकी सूचना दी गई ।

5. सुनवाई के दौरान जिला देवघर के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए|

आशालकड़ा

6. सुनवाई के दौरान सम्बंधित अधिकारियों ने बताया की आवेदक श्री लोबिन सोरेन एवं बाबुधन सोरेन को उनकी भूमि ग्राम प्रधान, ग्राम-बदिया की उपस्थिति में वापस कर दिया गया है।

आयोग द्वारा मामले में निम्नलिखित अनुशंसाएँ की जाती हैं :

(i) इस मामले में, आवेदक श्री लोबिन सोरेन की भूमि ग्राम प्रधान, ग्राम बदिया की उपस्थिति में प्रत्यर्पित कर दी गई है। अतः आयोग द्वारा इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की आगामी कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार, मामला आयोग में बंद किया जाता है।

आशा लकड़ा
12/11/2025
(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet

National Commission for Scheduled Tribes

ATY-2567

NCST/~~SER-25~~67/JH/378/2025-RO-RNC/RU-IV

Sitting to be held on **09.10.2025 at 01.30 P.M-** अभ्यावेदक **श्री लोबीन सोरेन**, पिताश्री चन्दवा सोरेन ०स्व -, साकिनबदिया-ग्राम-, थाना एवं अंचलकरौं-, अनुमण्डलमधुपुर-, जिला से प्राप्त अभ्यावेदन (झारखण्ड)देवघर -"संताल आदिवासियों की पुश्तैनी जमीन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा बलपूर्वक कब्जा करने" के संबंध में ।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Consultant		
4	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
II	**Officers from O/o Deputy Commissioner, Deoghar, Jharkhand**		
1.	VC with DC, Deoghar		
2.			
3.			
III	**Officers from O/o Superintendent of Police, Deoghar, Jharkhand**		
1.	VC with SP, Deoghar		
2.			
3			
IV	**Petitioners**		